दिनांक 13.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट लखनऊ व एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट कानपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 1.010 किलो अवैध एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये), 02 अदद लेबोरेट्री रिएजेन्ट कांच की बोतल,02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 01 अदद एन्ड्राएड मोबाइल फोन बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ व एएनटीएफ यूनिट कानपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम विजय कुमार दूबे पुत्र स्व0 गिरिजा शंकर दूबे नि0 ग्राम महजूदा थाना सुरियाँवा जनपद भदोही (संत रविदास नगर) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1.010 किलो अवैध एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये), 02 अदद लेबोरेट्री रिएजेन्ट कांच की बोतल, 02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना सुरियाँवा, जनपद भदोही (संत रविदास नगर) पर मु0अ0सं0 411/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि उसकी एक फर्म है जिसका नाम लक्ष्मणनारायण ट्रेडिंग है, जिसमें वह PV KURMA INTERNATIONAL नामक कंपनी जो उन्नाव में स्थित है, वहां से केमिकल मंगवाकर अपनी फर्म में एमडीएमए बनाने में इस्तेमाल करता है । केमिकल के माध्यम से तैयार कर पैकिंग को थोक व फुटकर में इलेक्ट्रानिक वजन मशीन के माध्यम से तौलकर विभिन्न–विभिन्न ग्राहको को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1–विजय कुमार दूबे पुत्र स्व0 गिरिजा शंकर दूबे नि0 ग्राम महजूदा , थाना सुरियाँवा जनपद भदोही (संत रविदास नगर) ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक–13.12.2025 स्थान–ग्राम महजूदा थाना सुरियाँवा जनपद भदोही (संत रविदास नगर) ।

बरामदगी का विवरण

1–1.010 किलो अवैध एमडीएमए (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये)

2–02 अदद लेबोरेट्री रिएजेन्ट कांच की बोतल।

3–02 अदद इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन।

4–01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 यूनिट लखनऊ / कानपुर

1– प्रभारी निरी0 दर्शन यादव, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

2– प्रभारी उ0नि0 प्रवीण शेखर, एएनटीएफ यूनिट कानपुर

3– हे0का0 संगम पटेल, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

4– हे0का0 दिनेश सिंह, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

5– हे0का0 मो0खालिद खाँ, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

6– का0 राजन कुमार, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

7– का0 श्याम सुंदर, एएनटीएफ यूनिट कानपुर

8– म0का0 प्रतिमा शुक्ला, एएनटीएफ यूनिट लखनऊ

सहयोगार्थ थाना–सुरियाँवा जनपद भदोही (संत रविदास नगर) की टीम–

1– निरीक्षक श्री राजेश प्रताप सिंह

2– का0 राजकेश भारती

3– का0 पवन यादव

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

● पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 01 बैट्री रिक्शा

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 12.12.2025 को थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसाईच बस स्टैण्ड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नईम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 बैट्री रिक्शा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जानसठ से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नईम निवासी ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली मुजफ्फरनगर हालपता—मोहल्ला सत्ती थाना सिविल लाइन रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—चोरी की 01 बैट्री रिक्शा।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर

•04 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूटी गयी पीली–सफेद धातु के आभूषण

•लूट का मोबाइल फोन

•घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन

•घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

•01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 12.12.2025 को थाना राजापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–जीतलाल 2–सुखलाल उर्फ दुखी 3–उमेश कुमार 4–जगतपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी पीली–सफेद धातु के आभूषण, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 07.12.2025 को थाना राजापुर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राजापुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राजापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीतलाल निवासी शिवलहा पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

2–सुखलाल उर्फ दुखी निवासी ग्राम रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

3–उमेश कुमार निवासी ग्राम डढिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

4–जगतपाल निवासी लहदुआ थाना पहाडी जनपद चित्रकूट।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटी गयी पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—लूट का मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन।

4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद बरेली/थाना बारादरी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 526 ग्राम अवैध अफीम**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 12/13.12.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरतौल रोड पर एफसीआई गोदाम के पास से 02 अभियुक्तों 1—महिपाल 2—देवपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 526 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महिपाल निवासी ग्राम मझारा थाना भमौरा जनपद बरेली।

2—देवपाल निवासी मसीत वलीनगर थाना नबाबगंज जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 38 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 526 ग्राम अवैध अफीम।

2—02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

———————